



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273890
CG-DL-E-27062026-273890

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3281]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3415(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 334ए (पुरकाजी-लक्सर- हरिद्वार मोटर मार्ग) के किमी0 15.000 से किमी0 61.500 तक मार्ग को दो लेन से चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH334A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH334A के कि.मी 15 से कि.मी 61.5 तक	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार	1 जमालपुर कलां
					लक्सर	1 शाहपुर

[फा.सं. RO/UK/AP/DPR/NH-334A/2024-25/686]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3415(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Upgradation of National Highway No. 334A (Purqazi–Laksar–Haridwar Road) from Two Lanes to Four Lanes from Km 15.000 to Km 61.500 in the State of Uttarakhand.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH334A in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO, Haridwar	NH334A KM 15 TO KM 61.5	UTTARAKHAND	HARIDWAR	Haridwar	1 Jamalpur Kalan
					Laksar	1 Shahpur

[F. No. RO/UK/AP/DPR/NH-334A/2024-25/686]

SHAIKH AMINKHAN, Director